संख्या-60 /2026/794/26-3-2026- 1615220

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2026

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत कार्यो के निर्माण हेतु मानक आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6194/स0क0/विकास/ए0वि0यो0/कार्य योजना01/2025-26 दिनांक 09.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए प्रति ग्राम / ग्राम सभा / ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण के कार्यों हेतु यू0पी0 सिडको द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकतम कुल धनराशि रूपया 20.00 लाख के मानक आगणन के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-54/2022/264/26-3-2022-10(15)/2007 दिनांक 10.05.2022 द्वारा निर्गत किया गया है।

उक्त योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण कराकर अनुसूचित जातियों का समग्र विकास कराते हुए उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है ताकि अनुसूचित जाति के अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से योजना का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो। योजना का उद्देदेश्य समाज के अत्यंत पिछड़े अनुसचित जाति समूह के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित किये जाने एवं उसका लाभ पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में एकीकृत विकास योजनान्तर्गत आच्छादित कार्य का प्रकार एवं विवरण उल्लिखित है, जिसमें सम्पर्क मार्ग का निर्माण, इण्टरलांकिग, सी0सी0 रोड, पिच रोड, पुलिया एवं नॉली निर्माण आदि का उल्लेख किया गया है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 (2) में उल्लिखित किया गया है कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत एक जनपद में समेकित रूप से दो अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के विकास कार्यों जिसकी कुल अधिकतम लागत रूपया एक करोड़ सीमा के अन्दर हो, के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जिसमें एक ग्राम का प्रस्ताव अधिकतम रूपये पचॉस लाख की सीमा तक का हों।

3- अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत धनराशि रू0 30.00 करोड़ का ही वार्षिक बजट उपलब्ध रहता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक ग्राम में अधिकतम पचास लाख की सीमा तक कार्य कराए जाने की अनुमन्यता के दृष्टिगत बजट की अल्प धनराशि से बहुत कम गाँव ही इस योजना से लाभान्वित हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य गाँवों को इस योजना की परिधि में लाने के उद्देश्य से एक गाँव में विकास कार्य कराने की अधिकतम सीमा सामान्यतः रु० बीस लाख होगी। विभागीय मंत्री की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में इसे रु० 50 लाख तक बढ़ाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से एक गाँव में विकास कार्य कराए जाने की अधिकतम सीमा धनराशि रू0 50.00 लाख से धनराशि रू0 20.00 लाख हो जाने के फलस्वरूप एक जनपद में दो से अधिक ग्रामों के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकेगा।

तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 10-04-2026
17:48:34

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त मण्डलायुक्त द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

2-समस्त जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

3-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

4-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

5-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।